

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जाए व कि किसी अन्य पदाधिकारी को नहीं भेजा जाये। सम्बन्धित लेखक को यदि पूर्ण में 14 दिनों के अन्दर जवाब न मिले तो पत्र स्वतः ही विचार अथवा प्रतिक्रिया के बिना ही रहेगा।



ग्राम : ग्वालियर
दूरभाष : (0751) 2341866
(0751) 2442820
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर
क्रमांक: 075/सम्बद्धता/2012/ 5881

दिनांक: 04-01-13

// सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध महासूचना प्रताप कॉलेज ऑफ डेन्टिस्ट्री एण्ड रिसर्च, ग्वालियर (0751-2233378) को सत्र 2012-13 के लिये प्रस्तावित/संयोजित एम.डी.एस. प्रथम वर्ष, पाठ्यक्रम कक्षा/पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी सम्बद्धता हेतु अनुसंधानों प्रदान करने के लिये माननीय कुलपति महोदय/राज्याधीन समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिच्छेद 27(10) के अन्तर्गत विनियमों द्वारा निरीक्षण समिति का गठन किया है :-

- (1) प्रो. डी.एन. गोस्वामी, अधिष्ठाता महाविद्यालयीय विषयस परिषद, जी.वि.वि. ग्वालियर। (संयोजक)
(0751-2442841)
- (2) डॉ. योगेन्द्र पहाड़िया, विभागाध्यक्ष, दन्त निकेतन विभाग, जी.आर.एम.सी., ग्वालियर।
- (3) डॉ. अब्दुराज चौहान, आचार्य, जी.आर.एम.सी., ग्वालियर।

निरीक्षण समिति को सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिच्छेद 27/28 के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रस्तावित निरीक्षण कर शुल्क, धरोहर राशि, योजित शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टाफ, प्राधिकृत संख्या से प्राप्त अनुसंधान/बनापति प्रमाण-पत्र, भूदान, लीडर चार्जर एवं पाठ्यक्रम/अभिलेख तथा पिछले सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति मध्य प्रमाण पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्तियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुसंधानों अंकित करें।

स्थायी समिति की बैठक दिनांक 26 सितम्बर 2012 के पत्र क्रमांक 60 (अ-अ-2) पर लिये गये निर्णयानुसार निरीक्षण समिति द्वारा 30 दिन में महाविद्यालय का निरीक्षण कर 15 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाये। जिससे कि सम्पूर्ण कार्यवाही (महाविद्यालय निरीक्षण की) 45 दिवस में पूर्ण हो सकेगी एवं महाविद्यालय को विश्वविद्यालय द्वारा दी जाने वाली अस्थायी सम्बद्धता में विलम्ब नहीं होगा एवं तथा समय सम्बद्धता संबंधी कार्यवाही पूर्ण हो सकेगी तथा शासन के निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जा सकेगा।

अब को 45 दिवस में Report प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाएगा कि महाविद्यालय का निरीक्षण नहीं हुआ है। विनियमों के अन्तर्गत जमा कराकर नवीन समिति गठित की जायेगी। जिसे 15 दिवस में निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। परिच्छेद 27(11)(7) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए बिना छात्रों को प्रवेश देना अवैधानिक है।

निरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शाखा में कर्मगत अधीक्षक / कार्यालय सहायक पत्रावली लेकर जायेंगे तथा महाविद्यालय की वस्तुस्थिति से निरीक्षण समिति को अवगत करावेंगे। निरीक्षण समिति के सदस्यों को डी.ए. / टी.ए. / मानवदेय महाविद्यालय द्वारा देय होगा।


कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. समस्त सदस्यों की ओर सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि समिति को संपर्क स्थापित कर निरीक्षण दिनांक निर्धारित कर महाविद्यालय का निरीक्षण करावें। उक्त निरीक्षण 15 दिवस के अन्दर करावे की व्यवस्था करें।
3. आभुक्त तत्त्व शिक्षण, सतगुहा भवन, भोपाल
4. कुलपति के सचिव : कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर


सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)